(ii) उपर्युक्त क्षेत्रों और केन्द्रों में परिनिश्चित अधिकारिता और शक्तियों सहित भाग लेने वाली न्याय पद्धति स्थापित करके ;

(iii) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कार्य की मात्रा को घटाने के लिए न्यायिक श्रेणी के भीतर अन्य पंक्ति या पद्धति स्थापित करके, न्याय प्रशासन की पद्धति का विकेन्द्रीकरण करने की आवश्यकता ।

(ख) ऐसे विषय जिनके लिए संविधान के भाग 14-क में यथा परिकल्पित अधिकरणों (सेवा अधिकरणों को, अपवर्जित करते हुए) को शीघ्र स्थापित करने की आवश्यकता है और उनके और कार्यकरण से संबंधित विभिन्न विषय ,

(ग) प्रक्रिया संबंधी विधियां-साधारणतः मामलों के शीघ्र निपटाने, अनावश्यक मुकदमेबाजी को और मामलों की सुनवाई में विलम्ब को कम करने की दृष्टि से और प्रक्रिया तथा प्रक्रिया संबंधी विधियों में सुधार और विशेष रूप से मद क(i) और क(ii) में परिकल्पित विषयों के अनुरूप प्रक्रियाओं के लिए उपाय करना ।

(घ) अधीनस्थ न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायपालिका में नियुक्ति का ढंग ;

(ङ) न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण ।

(च) न्याय प्रशासन की पद्धति को सुदृढ़ करने में विधि व्यवसाय की भूमिका;

(छ) ऐसे मानदंडों को निश्चित करने की वांछनीयता जिनका सरकार और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा विवादों के निपटारे में पालन किया जाना चाहिये । इसके अन्तर्गत सरकार और ऐसे उपक्रमों की ओर से मुकदमों के संचालन के लिये वर्तमान पद्धति का पुनर्विलोकन भी है ;

(ज) मुकदमेबाजी का खर्च-मुकदमा लड़ने वालों पर भार कम करने की दृष्टि से ;

(झ) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन ; और

(ञ) ऐसे अन्य विषय जो आयोग उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये उपयुक्त या आवश्यक समझे या जो सरकार द्वारा उसे समय-समय पर निर्देशित किये जायें ।

विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालयों की न्यायपीठों की स्थापना

2077. श्री अजीत जोगी : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जसवन्त सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालयों की न्यायपीठों की स्थापना किये जाने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) इन सिफारिशों के कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) इलाहाबाद, मध्य प्रदेश और मद्रास उच्च न्यायालयों की न्यायपीठों की स्थापना के संबंध में आयोग द्वारा की गई विनिर्दिष्ट सिफारिशें संबद्ध राज्य सरकारों को भेज दी गई थी । इन राज्यों ने इस बारे में अपने निश्चित विचार और पूरे प्रस्ताव नहीं भेजे है । उच्च न्यायालयों और न्यायपीठों की स्थापना संबंधी आयोग की साधारण सिफारिशें अन्य राज्यों को भी भेजी गई थीं । कर्नाटक राज्य ने हुबली-धार वाड़ में एक न्यायपीठ स्थापित करने का प्रस्ताव किया है, किन्तु यह सूचित नहीं किया है

कि क्या इस बारे में कानूनी परामर्श पूरे हो चुके हैं ।

(ख) यह बताना संभव नहीं है कि आयोग की सिफारिशें कब तक लागू की जायेंगी ।

Re-orientation of Science Laboratories

2078. SHRI CHANDRIKA PRASAD TRIPATHI:
DR. RATNAKAR PANDEY:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Science laboratories in India are re-orienting themselves to improve their credibility with the Industry;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what was the research achievment of CSIR during the year 1986-87 and 1987-88?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS AND SPACE (SHRI K. R. NARAYANAN): (a) Yes, Sir.

(b) CSIR has stepped up its efforts to establish linkages with industry and to further the commercialisation of its processes by involving the potential users in R&D project selection, monitoring and funding.

(c) In the year 1986-87 and 1987-88, around 60 new processes were made available for use by industry; these were in the areas of drugs, chemicals, equipments, metallurgy etc.

2079. [*Transfered to the 22nd August, 1988*].

Tuticorin Heavy Water Project

2080. SHRI T. R. BALU:
SHRI V. GOPALSAMY:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) when did the Tuticorin Heavy Water, Plant come into being;

(b) what is its capacity;

(c) whether this capacity has ever been achieved; if not, what are the reasons therefor; and

(d) what steps are being taken to achieve the target?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS AND SPACE (SHRI K. R. NARAYANAN): (a) The Tuticorin Heavy Water Plant started production in July 1978.

(b) The production capacity of the plant is 49 MT of Heavy Water per annum.

(c) Commensurate with the inputs, the plant has achieved satisfactory levels of production.

(d) A Committee appointed by the Department of Atomic Energy identified the constraints removal of which would lead to an achievable production of 49 MTs per annum Remedial measures suggested, have been implemented except one relating to installation of a synthesis gas recirculator, erection of which is in progress.

Enhancement of research fellowships

2081. SHRI PRABHAKAR RAO KALVALA:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that CSIR and UGC are not following the recommendations of Government on enhancement of research fellowships;